

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 26]

रायपुर, सोमवार, दिनांक 28 जनवरी 2019 — माघ 8, शक 1940

आवास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, रायपुर

अटल नगर, दिनांक 25 जनवरी 2019

शुद्धिपत्र

क्रमांक एफ 7-27/2017/32. — इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 06 अक्टूबर, 2018 जो छत्तीसगढ़ भूमि विकास नियम, 1984 में संशोधन संबंधी हैं, के छत्तीसगढ़ राजपत्र (असाधारण) दिनांक 06 अक्टूबर, 2018 हिन्दी पाठ में निम्नानुसार पढ़ा जाये :-

1. छत्तीसगढ़ राजपत्र के पृष्ठ क्रमांक 820 (1) तथा 820 (2) के सरल क्रमांक 16 में (दो) के टेबल निर्मित क्षेत्रफल में अंक “20: के स्थान पर 20%” पढ़ा जाये.
2. छत्तीसगढ़ राजपत्र के पृष्ठ क्रमांक 820 (2) के सरल क्रमांक 17 में “अधिनिमय” के स्थान पर “अधिनियम” पढ़ा जाये.
3. छत्तीसगढ़ राजपत्र के पृष्ठ क्रमांक 820 (2) के सरल क्रमांक 18 में “बस स्टॉफ” के स्थान पर “बस स्टाप” पढ़ा जाये.
4. छत्तीसगढ़ राजपत्र के पृष्ठ क्रमांक 820 (4) के सरल क्रमांक 26 के तालिका के स्थान पर निम्नानुसार पढ़ा जाये :-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
“6. औद्योगिक क्षेत्र के लिये सुविधायें	श्रमिक कल्याण केन्द्र		प्रति 40 हेक्टेयर पर एक	0.2 हेक्टेयर
	सुविधाजनक दुकानें बस अड्डे		प्रत्येक 10 वर्गमीटर की 5 दुकानें	0.2 हेक्टेयर
	स्वास्थ्य केन्द्र		प्रत्येक 200 हेक्टेयर पर एक	0.6 हेक्टेयर
	डाक घर		-	0.4 हेक्टेयर
	टेलिफोन एक्सचेंज		-	0.6 हेक्टेयर

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		बैंक	-	200 वर्गमीटर
		पेट्रोल पंप तथा सर्विस स्टेशन	-	30 X 45 मीटर
		पुलिस थाना कर्मचारी आवास गृहों सहित	-	0.4 हेक्टेयर
		दमकल केन्द्र कर्मचारी आवास गृहों सहित	-	0.8 हेक्टेयर
		गैस सिलेन्डर भण्डारण हेतु	जो भारत सरकार वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के गैस सिलेन्डर नियम, 2016 के अन्तर्गत विहित मापदण्ड अनुसार होगा.	-

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जी. एल. सांकला, उप-सचिव.

Atal Nagar, the 25th January 2019

CORRIGENDUM

No. F 7-27/2017/32. — With reference to this department's Notification even number dated 6th October, 2018 which is related to amendment in Chhattisgarh Bhumi Vikas Niyam, 1984, published In English Version as Chhattisgarh Rajpatra (Extraordinary) dated 6th October, 2018, should be read as follows :-

- In serial No. 18 (4) on page No. 820 (18) of Chhattisgarh Rajpatra, "bus step" should be read as "bus stop"
- In serial No. 26 on page No. 820 (20) of Chhattisgarh Rajpatra, the table should be read as follows :-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"6.	Facilities for industrial area.	Labour Welfare Centre	1 for every 40 Hectare	0.2 hectare
		Convenience Shops	5 shops of 10 square metres each	0.2 hectare
		Bus station		
		Health centre	1 for every 200 hectare as per	0.6 hectare
		Post office	-	0.4 hectare
		Telephone exchange	-	0.6 hectare
		Bank	-	200 square metres
		Petrol pump cum service station	-	30X45 metres

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		Police station with staff quarters	-	0.4 hectare
		Fire station with staff quarters	-	0.8 hectare"
		for warehousing of gas cylinder	criteria prescribed under Gas Cylinder Rules, 2016 of the Ministry of Commerce and Industry, Government of India.	-

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
G. L. SANKLA, Deputy Secretary.